(2025)962

# फर्द अहकाम

(नियम 15)

आदीश
12.2.2026

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

सन्दीप बनाम गोविन्द सिंह आदि

प्रकरण संख्या 650 वर्ष 2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 22.01.2026 को पेश हो। | |
| 22.1.2026 | बार एसो. का हड़ताल होने पर पत्रावली [illegible] 27.1.2026 को पेश हो। | |
| 27.1.26 | वकुलाए फरीकैन अनुपस्थित। [illegible] प्रतिवादी [illegible] के प्रकाश [illegible] दिनांक 10.2.2026 को पेश हो | |
| 10/2/2026 | वकुलाए फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली आईंदा ता० 17/2/2026 को जवाब व शेष की तल्बी आईंदा ता० 17.2.26 को पेश हो। | |
| 12.2.2026 | वकील वादी [illegible] पत्र लिखा पेशी पेश करते पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी [illegible] वाद पत्र में राजीनामा होने से [illegible] नहीं चलाना चाहते है। [illegible] करवाना चाहते है। [illegible] में आदेश किया जाता है। [illegible] के आधार पर वाद तसदीक तकमील जाता दाखिल दफ्तर हो। | राजीनामा होने से [illegible] नहीं जारी करने की जाती |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.02.27 11:46:11 IST
Reason: SelfAttested